

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं०-०१), महाराजगंज।

पीठासीन:पवन कुमार श्रीवास्तव, एच०जे०एस०

1-विशेष वाद संख्या-40/2001

CNR NO-UPMH01-000067-2001

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

बनाम

1.शेषनाथ पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी हरसिंहपुर थाना जैतपुर, जनपद
अम्बेडकर नगर

.....अभियुक्त

अपराध संख्या-153/2001,

धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि

और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

थाना-कोतवाली

जनपद-महाराजगंज

एवं

2-विशेष वाद संख्या-41/2001

CNR NO-UPMH01-000068-2001

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

बनाम

1.अशोक कुमार पुत्र अमरजीत हरिजन, निवासी-धनुकारा थाना-आलापुर
जिला-अम्बेडकरनगर

.....अभियुक्त

अपराध संख्या-154/2001

धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि

और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

थाना-कोतवाली

जनपद-महाराजगंज

एवं

3-विशेष वाद संख्या-42/2001

CNR NO-UPMH01-000051-2001

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

बनाम

1.राजेश यादव पुत्र सीताराम निवासी ग्राम धनुकारा, थाना आलापुर,
जिला अम्बेडकर नगर

.....अभियुक्त

अपराध संख्या-155/2001

धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि

और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम

थाना-कोतवाली

जनपद-महाराजगंज

निर्णय

1. अभियुक्तगण शेषनाथ, अशोक कुमार एवं राजेश यादव का
परीक्षण धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ

अधिनियम के आरोप के लिए किया गया है। न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2002 द्वारा उपरोक्त तीनो विशेष वादों का परीक्षण एक साथ किया गया है तथा विशेष वाद संख्या-40/2001 को अग्रणीय वाद माना गया है। चूंकि तीनो विशेष वाद एक ही फर्द बरामदगी की घटना से सम्बन्धित है, अतः उपरोक्त तीनो विशेष वादों का निस्तारण न्यायिक सुविधा दृष्टि से एक ही साथ किया जा रहा है।

2. फर्द बरामदगी प्रदर्शक-1 के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 29.03.2001 को वादी नरेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियान कॉ0 नं0-584 रजनीश पाठक मय जीप सरकारी नं0-यू0पी056-4241 का0 रामप्रसाद मिश्र के गश्त व तलाश वांछित अपराधी एवं जांच प्रार्थनापत्र में मामूर था कि ग्राम बागापार में उपनिरीक्षक दिगम्बर तिवारी, कॉ0 449 रामचन्द्र, कॉ0 172 जयनाथ यादव, कॉ0 57 मो0 रउफ स्टेट बैंक आफ इण्डिया पर ड्यूटी में मिले, जिन्हे साथ लेकर बागापार से नदुआ की तरफ आ रहा था ज्योंही पुलिस जीप बागापार के पूरब सरकहिया टोला के पास नहर पुल के पास सड़क पर पहुँचा कि तीन व्यक्ति जो सरकहिया की तरफ से नहर पटरी पकड़े साइकिल से कपड़े का गट्ठर पीछे बांधे आ रहे थे। पुलिस वालो को देखकर सकपका कर साइकिल पीछे मोड़ने लगे कि शंका होने पर समय 13.40 बजे घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर तीनो व्यक्तियो के सायकिल पर लदे गट्ठर सहित पकड़ लिया गया। पीछे मुड़कर भागने का कारण पूछा गया तो बताये कि साइकिलो पर लदे गट्ठर में गांजा भरा है। तब उनसे कहा गया कि तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी को बुलाया जाय तो कहे कि जब आपसे बता चुके है तो आप ही तलाशी ले लें। तब तीनो व्यक्तियो का नाम पता पूछा गया व जामा तलाशी बजाफ्ता बाकायदा ली गयी तो एक ने अपना नाम शेषनाथ यादव पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी हरसिंह पुर थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर बताया। तलाशी से साइकिल एवन नं0 एक्स 977901 पर चौखाना लाल पीली कत्थई चादर में लपेट कर बोरे के अन्दर प्लास्टिक में करीब 32 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ।

दूसरे ने अपना नाम अशोक कुमार पुत्र अमरजीत हरिजन साकिन धनुकारा थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर बताया। तलाशी से साइकिल नम्बर ई 200861 के पीछे कैरियर पर चादर चौखाना जिस पर काली मेहरून धारी है, में लिपटा बोरे के अन्दर लगी प्लास्टिक में करीब 23 किलो ग्राम गांजा बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम राजेश यादव पुत्र सीताराम साकिन धनुकारा थाना आलापुर जिला अम्बेडकर नगर बताया। तलाशी से साइकिल हीरो जेट नम्बर एक्स 1297 के कैरियर में रखी चादर लाल पीली चौखाना, जिसमें लाल काली धारी में लिपटे बोरे के अन्दर प्लास्टिक में करीब 31 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। गांजा रखे जाने के बाबत पूछा गया तो माफी मांगने लगे। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर धारा-8/20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गांजा नाजायज तीन गट्ठर मय 03 अदद साइकिल कब्जा पुलिस में लेकर तीनों गट्ठर से अलग-2 नमूना के तौर पर कागज में करीब 100-100 ग्राम निकाल कर कपड़े में अलग-2 रखकर तीनों गट्ठर को उन्ही चादरो में तथा नमूना कब्जे में सील कर सर्व मोहर किया गया। नमूना सील व लेबल अलामाती तैयार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान सड़क पर आने जाने वाले व ग्राम सरकहिया टोला के बहुत से लोग इकट्ठा हो गये, जिनसे गवाही के लिए कहा गया, परन्तु भलाई बुराई की डर से कोई गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। फर्द मौके पर लिख पढ़कर सुनाकर आलामात हमराहियान बनवाये गये। फर्द की एक-एक प्रति अभियुक्तों को दी गयी।

3. उपरोक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श-1 के आधार पर थाना-कोतवाली, जिला महाराजगंज में अभियुक्त शेषनाथ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 153/2001, अन्तर्गत धारा 8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट, अभियुक्त आशोक कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 154/2001, अन्तर्गत धारा-8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट एवं अभियुक्त राजेश यादव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 155/2001, अन्तर्गत धारा 8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट के अपराध का अभियोग

दिनांक 29.03.2001 को समय 16:00 बजे पंजीकृत किया गया।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी व मुकदमा कायमी के जी0डी0 का अंकन केस डायरी में करते हुए वादी मुकदमा व अन्य सम्बन्धित गवाहों के बयान लिए गए। घटनास्थल का निरीक्षण कर उसका नक्शानजरी बनाया गया। अभियुक्तगण द्वारा बरामद गांजा के नमूने को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया तथा विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शेषनाथ, अशोक कुमार एवं राजेश यादव के विरुद्ध धारा-8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय के आदेश से अभियुक्त शेषनाथ का मामला विशेष वाद संख्या-40/2001, अभियुक्त अशोक कुमार का मामला विशेष वाद संख्या-41/2001 एवं अभियुक्त राजेश यादव का मामला विशेष वाद संख्या-42/2001 के रूप में दर्ज किया गया। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, महाराजगंज द्वारा उपरोक्त तीनों सत्र वादों में अभियुक्तगण शेषनाथ, अशोक कुमार एवं राजेश यादव के विरुद्ध दिनांक 08.08.2001 को धारा-8/20बी(i) एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

6. अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में पी0डब्लू-1 प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिंह (वादी मुकदमा), पी0डब्लू-02 कॉ0 मो0 रउफ, पी0डब्लू-03 कां0 राजेन्द्र पाण्डेय, पी0डब्लू-04 निरीक्षक सुरेश राम-विवेचक, पी0डब्लू-5 हे0 कॉ0 तारकेश्वर पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजनपक्ष की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में फर्द बरामदगी प्रदर्श-क1, मुकदमा कायमी की जी0डी0 की कार्वन प्रति प्रदर्श-क2, डाकेट प्रपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-153/2001 प्रदर्श-क3, डाकेट प्रपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-154/2001 प्रदर्श-क4, डाकेट प्रपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-155/2001

प्रदर्श-क5, नक्शानजरी अपराध संख्या-153/2001 प्रदर्श-क6, नक्शानजरी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-154/2001 प्रदर्श-क7, नक्शानजरी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-155/2001 प्रदर्श-क8, आरोपपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-153/2001 प्रदर्श-क9, आरोपपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-154/2001 प्रदर्श-क10, आरोपपत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या-155/2001 प्रदर्श-क11 मुकदमा अपराध संख्या-153/2001 से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श-क12, मुकदमा अपराध संख्या-154/2001 से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श-क13, मुकदमा अपराध संख्या-155/2001 से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्श-क14 एवं चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-क15 तथा तीनों अपराध संख्या से बरामद गांजा को प्रस्तुत कर उन्हें वस्तु प्रदर्श-4, वस्तु प्रदर्श-8 व वस्तु प्रदर्श-12 के रूप में साबित कराया गया है। शेष वस्तु प्रदर्श का वर्णन निर्णय में यथास्थान है।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में घटना को गलत बताया, गलत एवं झूठा मुकदमा पंजीकृत किया जाना कहा, विवेचक द्वारा गलत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना कहा, अपने पास से किसी बरामदगी से इंकार करते हुए पुलिस द्वारा अपने पास रखे गांजा को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना कहा, पी0डब्लू-1 लगायत पी0डब्लू-5 द्वारा गलत प्रपत्र साबित किया जाना कहा, अपने विरुद्ध मुकदमा झूठा चलना कहा, सफाई देना कहा तथा अपने अन्य कथन में कहा कि वह निर्दोष हैं। दुश्मनीवश उन्हें फंसाया गया है।

9. अवसर देने के बावजूद बचावपक्ष की तरफ से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. मैंने अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11. अभियोजनपक्ष की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के कब्जे से नाजायज गांजा (मादक पदार्थ) बरामद हुआ है। उक्त गांजा मौके पर सील कर नमूना लेकर परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जहां उक्त तथ्य की पुष्टि हुई। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप की पुष्टि में फर्द बरामदगी के साक्षी पी0डब्लू-1 निरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिंह (वादी मुकदमा), पी0डब्लू-02 काँ0 मो0 रउफ को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने फर्द बरामदगी का समर्थन किया है तथा पी0डब्लू-1 ने फर्द बरामदगी एवं मुकदमा कायमी की जी0डी0 की कार्वन प्रति को साबित किया है। अन्य साक्षी पी0डब्लू-3 कां0 राजेन्द्र पाण्डेय ने डाकेट प्रपत्रों को, पी0डब्लू-4 निरीक्षक सुरेश राम-विवेचक ने विवेचना की कार्यवाही के सम्बन्ध में साक्ष्य देते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों नक्शानजरी व आरोपपत्र को तथा पी0डब्लू-5 हेड कां0 तारकेश्वर पाण्डेय ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस कर्मियों की अभियुक्तगण से कोई रंजिश नहीं है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है। **इसके विपरीत बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि** अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियुक्तगण को झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि घटना 1:40 बजे दिन की बतायी गयी है, परन्तु घटना का कोई जन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा आरोपपत्र बिना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त किये ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कोई नमूना सील पत्रावली पर दाखिल नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि मालखाना में बरामद माल गांजा दाखिल नहीं हुआ। फर्द बरामदगी में किसी भी जन साक्षी का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकरण में धारा-50, 55 व 57 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रकरण में अन्य तथ्यात्मक विसंगतियां हैं। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

12. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में वर्तमान प्रकरण

के न्यायपूर्ण निर्धारण के लिए निम्न अवधारणीय प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक है:-

1- क्या दिनांक 27.11.2007 को समय 16:30 बजे अभियुक्त शेषनाथ को 32 किलो ग्राम नार्कोटिक ड्रग्स गांजा, अभियुक्त अशोक कुमार को 23 किलो ग्राम नार्कोटिक ड्रग्स गांजा तथा अभियुक्त राजेश यादव को 31 किलो ग्राम नार्कोटिक ड्रग्स गांजा के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया?

2- क्या पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी से सम्बन्धित सभी आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन किया गया?

3- क्या अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा है?

13. उपरोक्त प्रश्नों के निर्धारण के लिए अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है-

अभियोजन द्वारा परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू-1 नरेन्द्र कुमार सिंह (वादी मुकदमा)** ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 29.03.2001 को प्रभारी निरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में तैनात था। मैं एस.एच.ओ. नरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराही का० अवनीश कुमार पाण्डेय मय जीप सरकारी व का० राम प्रसाद मिश्र थाने से रवाना होकर गिरफ्तारी, गश्त, तलाशी वांछित एवं सक्रिय अपराधी तथा जांच करता हुआ बागापार पहुँचा। वहाँ पर बैंक ड्यूटी एस.बी.आई. पर उप निरीक्षक दिवाकर तिवारी, का० रामानन्द, का० मो० रउफ तथा का० जयनाथ यादव, जिनसे वार्तालाप की जा रही थी कि उपरोक्त सभी लोगो को लेकर मय जीप सरकारी ड्राइवर गांव बागापार से रामनदुआ की ओर जा रहा था कि जैसे ही ग्राम सरकहिया के पास सड़क के पास पहुँचे कि नहर की पटरी से तीन व्यक्ति अपनी अपनी साइकिल के कैरियर पर पीछे गद्दर लादे हुए आ रहे थे कि हम पुलिस वालो को देखकर ठिठक कर पीछे मुड़ कर भागना चाहे कि बदमाश होने का सन्देह होने पर पुलिस वालो ने उनकी

साइकिलो पर लदे गट्ठर के साथ घेरा मारकर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 13:40 बजे नहर पुलिया के पास पकड़ लिया गया तथा पकड़ने पर साइकिल सवार व्यक्तियों ने बताया कि इन गट्ठरो में गांजा भरा हुआ है। इस पर मेरे द्वारा इन लोगो से अपने माल की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराये जाने की बात बतायी गयी तो इन लोगो ने कहा कि जब आप लोगो ने पकड़ ही लिया है तो आप ही हम लोगो की तलाशी ले लीजिये। आस पास के लोगो को गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। मजबूरी आपस में एक दूसरे की जामातलाशी लेकर इत्मीनान किया कि किसी के पास कोई अवैध चीज नहीं है। इसके पश्चात तीनो लोगो से नाम पता पूछते हुए बाजाप्ता तलाशी ली गयी तो इन्होने क्रमशः अपना नाम शेषनाथ निवासी—अम्बेडकर नगर, इनके साइकिल पर लदे हुए गट्ठर को खोल कर देखा गया तो चद्दर काली लालधारी जिसके अन्दर बोरी, बोरी के अन्दर प्लास्टिक में लिपटा हुआ गांजा को सूँघ कर व सुंघा कर देखा गया तो गांजे की गन्ध आ रही थी। दूसरे ने अपना नाम अशोक हरिजन व उसकी साइकिल पर लदे गट्ठर में चद्दर के अन्दर, बोरे के अन्दर प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। तीसरे ने अपना नाम राजेश निवासी—अम्बेडकरनगर बताया, उसकी साइकिल पर पीछे लदे हुए चद्दर के अन्दर बोरी, बोरी के अन्दर प्लास्टिक से लिपटा हुआ गांजा बरामद हुआ। उपरोक्त गांजा को पास के गांव से तराजू व बाट मंगाकर तौल करायी गयी तो शेषनाथ के पास से 32 किलोग्राम, अशोक के पास से 23 किलोग्राम तथा राजेश के पास से 31 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा के रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो तीनो लोग दिखाने में कासिर रहे तथा बरामदशुदा अवैध गांजे में से हर बोरी से 100—100 ग्राम गांजा एक—एक कागज में अलग—अलग रख कर एक कपड़े में रख कर बतौर नमूना लिया गया तथा बरामद उपरोक्त गांजा को उसी चद्दर में लपेट कर सिलकर मौके पर माल व नमूने को सील व सर्व मोहर किया गया। चूँकि अभियुक्त का यह कार्य धारा—8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध

है, अतः अभियुक्त को वजह गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस लिया गया तथा बरामद अवैध गांजा की फर्द मौके पर लिख पढ़कर हस्ताक्षर स्वयं व हमराहियान करवाया गया। फर्द की नकल अभियुक्तगण को दी गयी। पत्रावली में शामिल फर्द को देखकर साक्षी ने कहा कि यही वही फर्द है, जिसको मैंने मौके पर उप निरीक्षक दिवाकर तिवारी से बोल कर लिखवाया था तथा उस पर मैंने तथा हमराहियान व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर कराये थे। इसके बाद माल व मुल्जिम को लेकर थाने आये तथा फर्द के आधार पर मुकदमा कायम कराया तथा माल व मुल्जिम को दीवान जी के हवाले किया। फर्द पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। थाने आने पर चिक कित्ता होने के बाद अपने वापसी, गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी गांजा की जी०डी० बोलकर का० मोहरीर तारकेश्वर पाण्डेय से लिखवाया। पत्रावली में शामिल कार्बन कापी को देखकर साक्षी ने कहा कि यह मूल जी०डी० की कार्बन प्रति है, जिसको मैंने बोलकर तारकेश्वर पाण्डेय द्वारा लिखवाया था, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। न्यायालय में एक लाल काला सफेद पट्टीदार चादर जिसे सिल करके सील लगा हुआ है, जिसमें सिलाई करके सील मोहर लगा हुआ है। सिलाई व सील टूटा हुआ है, एक तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है, जिसमें चट्टी एवं सफेद प्लास्टिक जो सुतली से बंधा हुआ है, चट्टी व सफेद प्लास्टिक के क्षतिग्रस्त होने के कारण गांजा दिखाई पड़ रहा है। चादर पर स्याही से अपराध संख्या-153/2001 धारा-8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट बनाम शेषनाथ थाना कोतवाली लिखा है, 32 किलोग्राम की मात्रा भी लिखा है। चादर पर **वस्तु प्रदर्श-1**, चट्टी पर **वस्तु प्रदर्श-2** तथा प्लास्टिक पर **वस्तु प्रदर्श-3** तथा गांजा पर **वस्तु प्रदर्श-4** डाला गया। यह माल मैंने शेषनाथ के कब्जे से बरामद किया था। न्यायालय में एक गद्दर लाल काली सफेद पट्टी की चारो तरफ से सील करके सर्वमुहर किया गया गद्दर प्रस्तुत किया गया, जिस पर मु० अ० सं०-154/2001 बनाम अशोक धारा-8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट थाना कोतवाली स्केच पेन से लिखा गया है। सील तथा सिलाई सब दुरुस्त है, एक जगह फटने के

कारण चट्टी दिखाई दे रही है। चादर का सील तोड़कर देखने पर चट्टी को खोलने पर प्लास्टिक, जो सुतली से बण्डल के रूप में बांधा गया है, प्लास्टिक का बण्डल खोलने पर उसके अन्दर गांजा निकला। गांजे की मात्रा 23 किलोग्राम लाल चादर पर **वस्तु प्रदर्श-5**, चट्टी पर **वस्तु प्रदर्श-6** तथा प्लास्टिक पर **वस्तु प्रदर्श-7** तथा गांजा पर **वस्तु प्रदर्श-8** डाला गया। यह माल अभियुक्त अशोक के पीछे कैरियर से मैंने बरामद किया था। न्यायालय में एक काला लाल व सफेद चट्टी का बण्डल बनाया हुआ चारो तरफ सील कर, सील करके सर्व मोहर हालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके एक कोने पर बण्डल क्षतिग्रस्त है, जिसमें चादर क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण चट्टी प्लास्टिक व गांजा दिखाई दे रहा है। चद्दर पर अपराध संख्या-155/2001 धारा-8/20 एन.डी. पी.एस.एक्ट बनाम राजेश गांजा 31 किलोग्राम स्कैच पेन से लिखा हुआ है, चादर पर **वस्तु प्रदर्श-9**, चट्टी पर **वस्तु प्रदर्श-10**, प्लास्टिक पर **वस्तु प्रदर्श-11** व गांजा पर **वस्तु प्रदर्श-12** डाला गया। यह माल मैंने अभियुक्त राजेश के साइकिल के पीछे कैरियर से बरामद किया था। जिस समय मैंने बरामद किया था, वही सभी माल बरवक्त बरामदगी बण्डल, चादर में बंधे हुए है, पूर्णतया उस समय ठीक ठाक थे, कोई बण्डल क्षतिग्रस्त नहीं था। इस समय जो माल न्यायालय में आया है तीनों माल कुछ-कुछ क्षतिग्रस्त है यह रख-रखाव की कमी के कारण है तथा मालखाने में सीलन व चूहों के कारण हुआ है।

14. अभियोजन की तरफ से **पी0डब्लू0-02 कॉ0 मुहम्मद रउफ** को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 29.03.2001 को थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में कॉ0 के पद पर कार्यरत था। दिनांक 29.03.2001 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा-बागापार पर उप निरीक्षक दिगम्बर तिवारी, जयनाथ व रामचन्द्र कॉ0 के साथ था। हम सभी लोगो को साथ लेकर बागापार से नदुआ के पास जा रहे थे, नहर के पास पुलिया पर पहुँचे तो सरकहिया के तरफ से तीन व्यक्ति साइकिल से नहर पटरी पकड़े हुए आ रहे थे, साइकिल के पीछे कैरियर पर गठ्ठर बांधे आ रहे थे।

इस पर हम पुलिस वालो को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। हम सभी लोग मिलकर समय करीब 13:40 बजे आवश्यक बल प्रयोग करके मय साइकिल व गट्ठर को पकड़ लिये। इस पर एस. एच. ओ. साहब ने भागने का कारण पूछा तो उन तीनों व्यक्तियों ने बताया कि हम लोगो के साइकिल पर रखे गट्ठर में गांजा है। इस पर एस.एच.ओ. साहब ने कहा कि आप लोगो की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। इस पर तीनों अभियुक्तों ने कहा कि जब आपसे सच सच बता दिया कि गांजा है तो हम तीनों की तलाशी आप ही ले लीजिए। इस पर एस.एच.ओ. साहब ने उन तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा। एक ने अपना नाम शेषनाथ, दूसरे ने अपना नाम अशोक कुमार और तीसरे ने अपना नाम राजेश बताया। शेषनाथ के साइकिल पर रखे गट्ठर को खोलवाया तो उसके अन्दर प्लास्टिक में 32 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। दूसरा अशोक कुमार की साइकिल पर पीछे रखे कैरियर के गट्ठर चारखाने काली पट्टी वाली चादर लिपटी प्लास्टिक में करीब 23 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। तीसरा राजेश के साइकिल के कैरियर पर रखे चादर में लिपटी प्लास्टिक के अन्दर 31 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। एस.एच.ओ. साहब ने गांजा रखने का लाइसेन्स मांगा तो तीनों व्यक्ति कोई लाइसेन्स नहीं दिखा पाये। तब एस.एच.ओ. साहब द्वारा कारण गिरफ्तारी बताकर धारा-8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया। साइकिल व गांजा को कब्जा पुलिस में लिया। तीनों गट्ठर से अलग-अलग 100-100 ग्राम गांजा नमूना माल परीक्षण के लिए निकाला। नमूना मोहर बनाया गया, शेष तीनों गट्ठर गांजा को अलग-2 रखकर सर्वमोहर व नमूना मोहर तैयार किया। एस.एच.ओ. साहब ने बरामदशुदा गांजे को तौलने हेतु तराजू बाट लेने हेतु मुझे भेजा। मैं तराजू बाट लेकर आया था। तीनों गट्ठर गांजे को अलग-2 तौल लिया था। उपरोक्त तीनों गट्ठरों में उपरोक्त गांजा पाया गया। जामा तलाशी के समय जनता का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। आने जाने वालो से गवाही के लिए कहा गया तो वह गवाही देने से

इंकार किये। बरामदगी की फर्द मौके पर लिखी गयी। यह सुनाकर मौके पर हम लोगों एवं अभियुक्तों के दस्तखत बनवाये गये। फर्द की एक-एक प्रति अभियुक्तों को दी गयी। माल मुल्जिम को लेकर थाना कोतवाली आये। एस.एच.ओ. साहब ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया। माल को मालखाना एवं मुल्जिमान को हवालात में तथा साइकिलों को थाने के प्रॉगण में सुरक्षित रखवा दिया। गवाह ने प्रदर्श-क1 को देखकर कहा कि इस पर मेरा तथा हमराही कर्मचारीगण, एस.एच.ओ. साहब एवं मुल्जिमान के हस्ताक्षर हैं।

15. अभियोजन की तरफ से पी0डब्लू-3 काँ0 राजेन्द्र पाण्डेय को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 14.04.2001 को उप निरीक्षक सुरेश राम के साथ थाना कार्यालय, थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में आकर मुकदमा संख्या-153/2001 बनाम शेषनाथ, मु0अ0सं0-154/2001 बनाम अशोक कुमार तथा मु0अ0सं0-155/2001 बनाम राजेश यादव, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट से सम्बन्धित नमूना माल, नमूना मोहर तथा डाकेट की अलग-अलग दो-दो प्रतियां थाना कार्यालय से मुंशी द्वारा प्राप्त किया गया, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाराजगंज विवेचक सुरेश राम के साथ लाकर पुलिस अधीक्षक महोदय, महाराजगंज के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त तीनों अपराध से सम्बन्धित नमूना माल व नमूना मोहर का दो-दो प्रतियों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ परीक्षण हेतु डाकेट तैयार कराया। डाकेट की छः प्रतियों पर एस0 पी0 साहब ने विशेष वाहक के नीचे तीन-तीन हस्ताक्षर किये जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने तस्दीक किया और अपना हस्ताक्षर तीनों अपराधों से सम्बन्धित डाकेट तैयार होने के बाद किये। तीनों अपराधों से सम्बन्धित डाकेट नमूना माल, नमूना मोहर व डाकेट की प्रतियों को विवेचक के साथ लाकर थाना कोतवाली जनपद-महाराजगंज के कार्यालय में मुंशी को सुपर्द विवेचक द्वारा किया गया। दिनांक 27.04.2001 को विवेचक मुझे साथ लेकर थाना कार्यालय आये और उपरोक्त तीनों मुकदमा अपराध संख्याओं से सम्बन्धित नमूना माल, नमूना मोहर तथा दो-दो

डाकेट की प्रतियां मालखाने से निकलवा कर मुझे प्राप्त कराया गया, जिसे लेकर मैं उसी दिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर, लखनऊ के लिए प्रस्थान कर दिनांक 28.04.2001 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ कार्यालय पहुँच कर मुकदमा अ0सं0-153/2001 बनाम शेषनाथ, मु0अ0सं0-154/2001 बनाम अशोक कुमार व मु0अ0सं0-155/2001 बनाम राजेश यादव से सम्बन्धित नमूना माल, नमूना मोहर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर, लखनऊ के कार्यालय में क्रमशः लाट नं0-3569, 3570 व 3571 पर अलग-अलग दाखिल करके प्राप्ति रसीद प्राप्त किया तथा उसे थाना कार्यालय में अपनी वापसी दर्ज कराके कागजात थाना दफ्तर में दाखिल किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8क विशेष वाद संख्या-40/2001 कागज संख्या-5क, विशेष वाद संख्या-41/2001 तथा विशेष वाद संख्या 42/2001 कागज संख्या 5क डाकेट की प्रतियों पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने शिनाख्त किया, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-3, प्रदर्श क-4 व प्रदर्श क-5** डाला गया।

16. अभियोजन की तरफ से **पी0डब्लू0-04 सुरेश राम निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, गोरखपुर** को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 29.03.2001 को थाना कोतवाली सदर, जनपद-महाराजगंज में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त तिथि को मु0अ0सं0-153, 154 व 155/2001 धारा-8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना कोतवाली, जनपद-महाराजगंज में मुल्जिमान शेषनाथ, अशोक कुमार व राजेश के विरुद्ध अलग-अलग कायम होकर उपरोक्त मुकदमा की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी। दिनांक 30.03.2001 को मैंने उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित नकल फर्द वगैरह व दीगर कागजात प्राप्त किया। नकल फर्द, संक्षिप्त रपट, वादी एवं गवाहान का बयान अंकित कर वादी के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तीन प्रतियों में अपने लेख व हस्ताक्षर में बनाया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7क नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है तथा मु0अ0सं0-154/2001 बनाम

अशोक कुमार में कागज संख्या-4क नक्शा नजरी तथा मु0अ0सं0 155/2001 बनाम राजेश यादव में कागज संख्या-5क नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-6, प्रदर्श क-7** तथा **प्रदर्श क-8** डाला गया। तदोपरान्त सामयिक साक्षी रामा हरिजन व रमाकान्त का बयान अंकित किया गया। दिनांक 12.04.2001 तथा 25.04.2001 को मुल्जिमान के रिमाण्ड के लिए रिपोर्ट प्रेषित किया गया। उपरोक्त तीनों अपराधों से सम्बन्धित नमूना माल का डाकेट तैयार कराने के उपरान्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजवाया था, जो दिनांक 28.04.2001 को क्रमशः लाट नं0-3569, 3570 व 3571 पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर, लखनऊ में दाखिल किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य व सबूत के आधार पर उपरोक्त तीनों अपराध संख्याओं में अलग-2 आरोप पत्र मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में अन्य कागजात के साथ न्यायालय में प्रेषित किया। मु0अ0सं0-153/2001 बनाम शेषनाथ कागज संख्या-3क आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क-9** डाला गया। मु0अ0सं0-154/2001 बनाम अशोक कुमार में दाखिल कागज संख्या 3क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क-10** डाला गया तथा मु0अ0सं0-155/2001 बनाम राजेश यादव में दाखिल कागज संख्या-3क आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क-11** डाला गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मु0अ0सं0-153/2001 बनाम शेषनाथ यादव व मु0अ0सं0-154/2001 बनाम अशोक कुमार, कागज संख्या-3क तथा मु0अ0सं0-155/2001 बनाम राजेश यादव के विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में गांजा पाया गया, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-12, प्रदर्श-13** व **प्रदर्श क-14** डाला गया।

17. अभियोजन की तरफ से **पी0डब्लू-5 हे0 कॉ0 तारकेश्वर पाण्डेय** को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2001 को मैं थाना कोतवाली जनपद-महराजगंज में कॉ0 मोहरीर के पद पर तैनात था। दिनांक 29.03.2021 को मैं कार्यालय में मौजूद था कि समय करीब

16:00 बजे वादी मुकदमा श्री नरेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक महोदय तीन नफर अभियुक्त शेषनाथ आदि व उनसे बरामद तीन बण्डल में सर्वमोहर मय नमूना मोहर के कुल 85 किलोग्राम गांजा व फर्द के साथ उपस्थित आकर फर्द बरामदगी काँ० मोहररि को अभियुक्तों के विरुद्ध एफ.आई.आर. लिखने के लिए दिये। मेरे द्वारा स्वयं के हस्तलेख में अभियुक्तगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जो क्रमशः मु०अ०सं०-153/2001, बनाम शेषनाथ, मु०अ०सं०-154/2001 बनाम अशोक कुमार एवं मु०अ०सं०-155/2001 बनाम राजेश यादव, सभी के विरुद्ध धारा-8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज में मेरे द्वारा दर्ज की गयी। वादी मुकदमा द्वारा बरामद माल व गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को कार्यालय में मौजूद तत्कालीन मोहररि योगेश सिंह को सुपुर्द कर बरामद माल अलग-अलग तीन पोटली में सर्वमोहर मय नमूना गांजा को मालखाने में मालगृह एवं अभियुक्तगण को नियमानुसार अन्दर हवालात मर्दाना निरुद्ध किया गया। उपरोक्त अभियोग मु०अ०सं०-153/2001, मु०अ०सं०-154/2001 एवं मु०अ०सं०-155/2001 धारा-8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट का फर्द एक ही में होने के कारण चिक संख्या-71/2001 पर पंजीकृत किया गया, जिसकी कायमी मुकदमा कार्यालय में मौजूद हे० मोहररि योगेश सिंह द्वारा रपट न०-27 समय 16:00 बजे दिनांक 29.03.2021 को रोजनामचा आम में किया, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-2 डाला गया है। संलग्न पत्रावली कागज संख्या-4क/1 प्रथम सूचना रिपोर्ट को साक्षी को दिखाया गया एवं पढ़ कर सुनाया तो साक्षी ने बताया कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज में मेरे हस्तलेख में दिनांक 29.03.2001 को दर्ज किया गया था, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-15** डाला गया।

18. अभियोजनक्ष की तरफ से प्रस्तुत साक्षियों के मुख्य परीक्षा का उल्लेख निर्णय के पूर्व पृष्ठों पर किया जा चुका है। सभी अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अभियोजनपक्ष की तरफ से प्रस्तुत **साक्षी पी०डब्लू-1 नरेन्द्र कुमार सिंह**

(वादी मुकदमा) ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि शेषनाथ के कब्जे से बरामद माल इस समय न्यायालय में आया है, जिसके अवलोकन से लगभग ढाई फुट लम्बा व एक फिट चौड़ा बोरा व ऊपर का कपड़ा फटा हुआ है। इसमें से गांजा बाहर निकल सकता है और अंदर जा सकता है। इसके अन्दर सफेद प्लास्टिक का भी कवर लगा हुआ है। इस फटे हुए हिस्से पर अलग से कोई कवर लगाकर सील नहीं किया गया है। इसी तरह से अशोक के कब्जे से बरामद गांजा के बन्डल में एक किनारा त्रिभुज के आकार का फटा हुआ है तथा उसके पास चट्टी भी थोड़ा सा फटा है। इस फटे हुए हिस्से में कोई कवर लगाकर सील नहीं किया गया है। अभियुक्त राजेश के कब्जे से बरामद गदठर के कपड़े का कवर पहले से एक फिट की परिधि में फटा हुआ है, अन्दर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, इस पर भी फटे हुए भाग पर अलग से कोई कपड़ा लगाकर नहीं सिला गया है और न ही इस पर सील है। यह तीनों माल थाना कोतवाली सदर के मालखाने में रखा हुआ था। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि बरामदशुदा तीनों माल थाने के मालखाने में रखकर टेम्पर किया गया है और उक्त तीनों में न्यायालय में लाने के पूर्व माल कर दिया गया है। आगे साक्षी ने कहा है कि उसने जिन शब्द व वाक्य में उनकी जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराने के लिए कहा था उन्हीं शब्दों का उल्लेख उसने फर्द में उल्लेख किया है। आगे साक्षी ने कहा कि बरामद तीनों माल सील करने के बाद उस पर कितने कितने सील उसने लगाये थे, याद नहीं है। ग्राम सरकहिया से किन लोगों से उसने गवाही के लिए कहा था, नाम नहीं बता सकता। उसने मौके पर एकत्रित लोगों से उनका नाम पता नहीं पूछा था। बरामदगी के समय इकट्ठा हुए पब्लिक के विरुद्ध जिन्होंने उसे नाम पता नहीं बताया व गवाही भी नहीं दिया, उसने कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की। आगे साक्षी ने कहा कि इस मुकदमें की विवेचना सुरेश राम जो थाना कोतवाली सदर में उसके मातहत थे, उन्होंने किया था। उसने किसी अन्य थाने से विवेचना करने के लिए अपने उच्चाधिकारी से आग्रह नहीं किया था। नमूना जांच के

लिए कब गया विवेचक ही बता सकते हैं। उसने पृथक रूप से किसी कागज पर बरामदगी गिरफ्तारी तथा सीजर से सम्बन्धित कोई इनवेन्ट्री नहीं बनाया था और कोई इनवेन्ट्री अपने उच्चाधिकारियों को नहीं भेजा था। आगे साक्षी ने कहा कि मूल जी०डी० उसके समक्ष नहीं है।

पी०डब्लू०-०२ काँ० मुहम्मद रउफ जो फर्द बरामदगी के साक्षी हैं, ने भी अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि घटना वाले दिन उसकी रवानगी कितने बजे हुई थी, इस समय नहीं बता सकता। वह भारतीय स्टेट बैंक शाखा बागापार पर डियूटी पर था। घटना वाले दिन उसकी रवानगी बैंक के सुरक्षा हेतु रवानगी हुई थी, वह बैंक बागापार शाखा पर था। आगे साक्षी ने कहा कि एस० एच० ओ० के आदेशानुसार बैंक डियूटी के समय आवश्यक कार्य हेतु उनके साथ या किसी सब इन्स्पेक्टर के साथ हमराही चले जाते थे। जब अधिकारी उसे अपने साथ ले जाते थे उसकी रवानगी थाने से उसे नहीं मिलती थी। आगे साक्षी ने कहा कि घटना वाले दिन भी बैंक खुला था। बैंक का काम हो रहा था। घटनास्थल बैंक से करीब डेढ फर्लांग पूरब तरफ है। घटना वाले दिन घटना होने के समय के बाद वह लोग बैंक पर नहीं गये थे। आगे साक्षी ने कहा कि तीनों मुल्जिम लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। मुल्जिम एक मीटर की दूरी पर थे, दस मीटर की दूरी पर थे, एक फिट की दूरी पर थे या दस फिट की दूरी पर, तीनों के बीच आपस में कितनी दूरियां थी, नहीं बता सकता। मौके पर लिखा पढी में लगभग एक घन्टा लगा था। उस लिखा पढी के दौरान जनता का कोई व्यक्ति उस सड़क के रास्ते नहीं आया था। आगे साक्षी ने कहा कि घटना के बावत उसका बयान विवेचक ने घटना के दो तीन दिन बाद लिया था। आगे साक्षी ने कहा कि फर्द में चद्दर के गठ्ठर में गांजा बंधे होने की बात लिखी गयी है, फर्द में गांजा बोरे में होने की बात नहीं लिखी गयी है।

पी०डब्लू०-३ काँ० राजेन्द्र पाण्डेय बरामद माल गांजा के नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाकर दाखिल करने का साक्षी है, जिसने बचावपक्ष की तरफ से की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह सन २००० से सन २००४ तक कोतवाली थाने में तैनात

था। वह पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के आदेश से डाकेट ले गया था। जिस समय डाकेट वह ले गया था उस समय भी कोतवाली थाने पर तैनात था। एस0पी0 आफिस से लगभग 3:00 बजे दिन में यह डाकेट मिला था। आगे साक्षी ने कहा है कि जो डाकेट उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने हेतु मिला था, वह सर्वमुहर था। जो डाकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने हेतु मिला था उस पर आई.ओ. की सील लगी थी। आई.ओ. उस उस समय सुरेश राम थे। सर्वमोहर माल में क्या रखा था उसको उसने नहीं देखा था। माल का सर्वमुहर उसके सामने हुआ था। उसके सामने ही माल रखकर सील हुआ था। आई.ओ. उससे सीनियर थे, वह उनका मातहत था। **पी0डब्लू-4 निरीक्षक सुरेश राम-विवेचक** ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कथन किया कि इस मुकदमें की विवेचना के करीब चार माह पूर्व से वह कोतवाली में तैनात था। प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली के आदेशानुसार उसे तफ्तीश मिली थी। उस समय प्रभारी निरीक्षक एन0के0 सिंह थे। इस मुकदमें के वादी भी एन0के0 सिंह ही थे। माल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला विवेचना प्रारम्भ होने के करीब एक माह के अन्दर ही भेजा था। इस बीच वह माल को नहीं देखा था। आज भी बरामद माल उसके सामने नहीं है। बरामद माल व नमूना माल उसके थाने के मालखाने में जमा था। नक्शानजरी उसने गवाह के निशानदेही पर बनाया था। सरकहिया गांव घटनास्थल से पश्चिम उत्तर के कोने पर पड़ेगा। उसने अगल बगल के लोगों से पूछा तो वे लोग घटना के होने की पुष्टि किये। उन लोगों का नाम इस समय याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग पुलिस के आदमी रहे हों। दौरान विवेचना उसने प्रयास किया परन्तु घटना के चश्मदीद साक्षी उसे नहीं मिले। दौरान विवेचना उसने बरामद माल को न तो खोला था और न खोलकर देखा था। बिना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आये ही पर्याप्त साक्ष्य पाकर उसने आरोपपत्र लगा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने इस मुकदमें में आरोप पत्र वादी मुकदमा के दबाव में लगाया हो। नक्शानजरी उसकी हैन्ड राइटिंग में है। **पी0डब्लू-5 हेड कां0 तारकेश्वर पाण्डेय** जो चिक प्रथम

सूचना रिपोर्ट के लेखक हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि तीन बण्डल गाजा मय नमूना मोहर उसने देखा था। तीन माल तीन नमूना मोहर और तीन नमूना माल दीवान जी को मिला था जो दीवान जी ने मालखाने में दाखिल किया था। वह थाने पर कब से कब तक तैनात था, इस समय याद नहीं है। वह उस समय मुंशी था। वह उस समय कार्यलेख पर कितने बजे से कितने बजे तक था, वह यह भी नहीं बता सकता कि उस दिन उसने कितना मुकदमा किता किया था। बरामद माल थाने के मालखाने में रखा गया था। बरामद माल पर किसके हस्ताक्षर थे, वह नहीं बता सकता क्योंकि मुकदमें की कायमी दीवान योगेश लिखे थे, वही देखे थे।

19. पी0डब्लू-1 नरेन्द्र कुमार सिंह (वादी मुकदमा) ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और अभियुक्त शेषनाथ के कब्जे से 32 किलोग्राम गांजा, अभियुक्त अशोक के कब्जे से 23 किलोग्राम गांजा तथा अभियुक्त राजेश यादव के पास से 31 किलोग्राम गांजा बरामद होने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा के पैमाने पर भी यह साक्षी खरा उत्तरा है। साक्षी पी0डब्लू-2 कॉ मो0 रउफ भी फर्द बरामदगी के गवाह हैं, जिसने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी व वादी पी0डब्लू-1 के बयान का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है तथा यह कहा है कि बरामदगी व गिरफ्तारी के समय वह गांजा बरामद करने वाली टीम का सदस्य था, जिसने फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए फर्द को साबित किया है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी के बयान में ऐसी कोई बात नहीं आयी है, जिनसे इस साक्षी के बयान को अविश्वसनीय करार दिया जा सके। पी0डब्लू-3 नमूला माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने का साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य देते हुए डाकेट प्रपत्र को साबित किया है। पी0डब्लू-4 निरीक्षक सुरेश राम विवेचक साक्षी हैं, जिन्होंने विवेचना में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है और अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। इस साक्षी से भी बचावपक्ष की तरफ से जिरह की

गयी है, परन्तु जिरह के दौरान इस साक्षी के बयान में कोई विशेष बात नहीं आयी है। साक्षी पी0डब्लू-5 हेड कॉ0 तारकेश्वर पाण्डेय ने अपने मुख्य बयान में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया है। बचावपक्ष की तरफ से की गयी जिरह में भी इस साक्षी के बयान में कोई ऐसी बात नहीं आयी है, जिससे यह कहा जा सके कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस साक्षी द्वारा तैयार न की गयी हो।

20. साक्षीगण पी0डब्लू-1 ता पी0डब्लू-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के साईकिल के पीछे रखे गठ्ठर से उपरोक्त गांजा की बरामदगी हुई है और उक्त बरामदगी को बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने फर्जी बरामदगी होना कहा है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी की अभियुक्तगण से कोई रंजिश नहीं थी और बिना किसी कारण के गांजा बरामदगी में उसे फर्जी रूप से फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है और न कोई स्पष्ट कारण बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में दिया गया है। इस प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त से बरामद गांजा में लिए गये नमूने को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ से परीक्षणोपरान्त नमूना माल गांजा पाया गया, जैसा कि पत्रावली में संलग्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि कागज की अन्तर्वस्तु विप्लेषण द्वारा गांजा पायी गयी।

21. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दौरान गिरफ्तारी एवं बरामदगी धारा-50 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है और अभियुक्त की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ली गयी है, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है। इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण को उनका अधिकार बताते हुए यह कहा गया कि उनकी तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी को बुलाया जाय तो वह कहे कि जब आप से बता ही चुके हैं, तो आप ही तलाशी

ले लें। अतः अभियुक्तगण ने अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए जाने से मना करते हुए पुलिस को तलाशी लेने की सहमति व्यक्त की। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि धारा-50 एन0डी0पी0एक्ट का अनुपालन नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित वाद **नवदीप सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाना (2013)2 एस सी सी,584** में यह अवधारित किया गया है कि एन0डी0पी0एस0एक्ट की धारा-50 के अन्तर्गत दिये गये अभियुक्त के अधिकारों को अभियुक्त को जानकारी दिये जाने के लिए कोई निश्चित प्रोफार्मा नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि अभियुक्त के अधिकार की जानकारी उसे दी जाय कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है। चूंकि साक्षी पी0डब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्त की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिये जाने की जानकारी उसे दी गयी थी और अभियुक्त ने पुलिस द्वारा अपनी तलाशी लिए जाने की सहमति दी थी, इन परिस्थितियों में धारा-50 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट का अनुपालन होना सिद्ध होता है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि धारा-50 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के प्रावधान उन्हीं परिस्थितियों में लागू होते हैं, जहां अभियुक्त के व्यक्तिगत जामा तलाशी से नशीला पदार्थ बरामद होता है। **कल्लू खान बनाम राजस्थान राज्य 2021 एस.सी.सी. आनलाइन एस.सी. 1223** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहां जनमार्ग/जनस्थान से आकस्मिक बरामदगी अभियुक्त के वाहन से की गयी है, ऐसे प्रकरण में धारा-50 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट का प्रावधान लागू नहीं होता है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण से बरामदगी नहर पुलिया के पास सड़क पर अभियुक्तगण को पुलिस टीम द्वारा अकस्मात पकड़े जाने पर किया गया है और अभियुक्तगण के द्वारा अपराध किये जाने की पूर्व सूचना पुलिस टीम को नहीं थी। यह भी दृष्टिगत रखने योग्य है कि अभियुक्तगण द्वारा साईकिल के पीछे कैरियर पर गठ्ठर के रूप में स्वापक पदार्थ अर्थात् गांजा का परिवहन किया जा

रहा था। पुलिस टीम द्वारा पकड़े जाने पर व तौल किये जाने पर अभियुक्त शेषनाथ के कब्जे से बरामद गांजे का वजन 32 किलोग्राम, अभियुक्त अशोक कुमार के कब्जे से बरामद गांजे का वजन 23 किलोग्राम व अभियुक्त राजेश के पास से बरामद गांजे का वजन 31 किलोग्राम पाया गया। अतः इस प्रकरण में धारा-50 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

22. विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त के पास से कोई गांजा की बरामदगी नहीं हुई, बल्कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने पर सभी फर्द बरामदगी के साक्षी पी0डब्लू-1 व पी0डब्लू-2 ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है तथा अभियुक्तगण के अपने अपने साईकिलों पर पीछे रखे गट्ठर की तलाशी के दौरान गांजा बरामद होने का कथन किया गया है, जिसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने पर बरामद सामग्री गांजा होने की पुष्टि हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टान्त **ज्ञानचन्द बनाम स्टेट आफ हरियाणा-एआईआर 2013, एससी, 3395** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त के पास से प्रतिबन्धित सामग्री की बरामदगी साबित हो जाती है तो यह साबित करने का भार कि उसके पास से बरामद की गयी प्रतिबन्धित सामग्री की जानकारी उसे नहीं थी, यह बात अभियुक्त के ऊपर चला जाता है। अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि बरामद किये गये गांजा की बरामदगी उसके पास से न की गयी हो अथवा बरामद किये गये गांजा की जानकारी उसे न रही हो। अतः विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

23. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इस प्रकरण में किसी जन साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि साक्षियों के बयान में आया है कि घटनास्थल पर जनता के गवाह मौजूद थे। यह भी तर्क दिया गया कि घटनास्थल सड़क की बतायी

गयी है, जिस पर हमेशा लोगों का आना जाना होता है तथा बरामदगी भी दोपहर के समय की बतायी गयी है। बचावपक्ष की तरफ से प्रस्तुत उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि फर्द के साक्षी पी0डब्लू-1 व पी0डब्लू-2 के बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने घटनास्थल पर उपलब्ध लोगों से गवाही के लिए कहा था, परन्तु वह तैयार नहीं हुए और बिना नाम पता बताये वहां से हट गये। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दोपहर 1:40 बजे की मुख्य सड़क से हटकर नहर पुल के पास के सड़क पर की है, जहां यह आवश्यक नहीं है कि जनता के बहुत से लोग इकट्ठे हुए हों, बल्कि ऐसे नहर पुल के सड़क पर दोपहर के समय इक्का दुक्का लोगों के होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जिन्हें गवाह बनाने का प्रयास वादी मुकदमा द्वारा किया गया, परन्तु वह गवाही के लिए तैयार नहीं हुए। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित वाद **रामस्वरूप बनाम स्टेट, एआईआर 2013, एस0सी0, 2068** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जहाँ स्वतन्त्र साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया और सिर्फ पुलिस के कर्मचारियों को परीक्षित कराया गया तो इस आधार पर दोषसिद्धि गलत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुलिस के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया जा सकता और उनके साक्ष्य पर विश्वास न किये जाने का कोई कारण नहीं है और सामान्यतः यह देखा गया है कि जनता के साक्षी साक्ष्य देने में आना कानी करते हैं।

24. विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि मौके पर कोई सीजर मेमो नहीं बनाया गया है। सील नमूना पत्रावली पर नहीं है। विवेचक द्वारा मौके का निरीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि थाने पर बैठकर फर्जी तरीके से नक्शानजरी तैयार कर लिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक, वादी के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जिससे विवेचना की कार्यवाही वादी के दबाव में विवेचक द्वारा करके बिना किसी साक्ष्य व पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना, आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। यह भी

तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा-100 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन नहीं हुआ है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना माल कब भेजा गया, यह भी गवाहों के बयान से स्पष्ट नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में साक्ष्य के समय जब तथाकथित गांजा रखे बोरे प्रस्तुत हुए तो सभी बोरे खुले हुए थे, जिससे प्रबल सम्भावना बनती है कि माल को टेम्पर किया गया होगा। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द के साक्षी पी0डब्लू-2 के बयान में यह बात आयी है कि घटना के दिन वह बैंक ड्रियूटी पर था तथा उसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि उसकी कोई रवानगी घटना के दिन घटनास्थल के लिए नहीं हुई थी, बल्कि उसकी रवानगी बैंक के लिए हुई थी। विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के उपरोक्त तर्कों के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के विप्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के पास से नाजायज गांजा की बरामदगी अचानक होने पर वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण को बताया था कि उनकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से कराया जा सकता है, जिस पर अभियुक्तगण ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा ही तलाशी लेने की बात कहने पर उनकी तलाशी पुलिस द्वारा ली गयी और उनके पास से नाजायज गांजा की बरामदगी हुई और मौके पर उक्त बरामदगी की फर्द वादी द्वारा बनायी गयी तथा मौके पर माल को तौलने पर उसकी मात्रा का अंकन फर्द में किया गया। फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उसमें वादी द्वारा सभी तथ्यों का अंकन किया गया है। यद्यपि कि इस प्रकरण में नमूना मोहर लिए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू-5 ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि वादी मुकदमा द्वारा बरामदशुदा माल कार्यालय में मौजूद मोहररीर योगेश सिंह के सुपुर्द कर अलग अलग पोटली में सर्वमोहर कर नमूना माल गांजा को मालखाने में अन्दर रखा गया। पी0डब्लू-3 ने नमूना माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने के सम्बन्ध में डाकेट प्रदर्श-क3 ता प्रदर्श-क5 को साबित किया है और यह भी साबित किया है कि नमूना माल अलग अलग लाट संख्या में

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यालय में दाखिल किया गया। अतः इन साक्षियों के साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बरामदशुदा माल वादी द्वारा थाने में पुलिस कर्मियों के सुपुर्द किया गया, जन्होंने माल को थाने के मालखाने में संरक्षित किया और प्रक्रिया के अनुसार नमूना माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु प्रेषित किया। जहां तक न्यायालय में पी0डब्लू-1 के साक्ष्य के समय प्रस्तुत माल के कुछ बोरों के फटे होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में पी0डब्लू-1 के मुख्य बयान में ही यह बात आयी है कि तीनों माल कुछ कुछ क्षतिग्रस्त हैं, यह रख रखाव की कमी के कारण है तथा मालखाने में सीलन व चूहों के कारण हुआ है। इस सम्बन्ध में न्यायालय भी इस मत का है कि बरामद माल मालखाना में काफी दिनों से रखने के कारण उनके फटने व चूहों द्वारा कुतरने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जबकि उक्त बोरों को खोलने पर उसके अन्दर गांजा पाया गया, जिसको पी.डब्लू-1 द्वारा वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित भी किया गया है और बोरों का फटना एक सामान्य बात है, जबकि हूबहू मालखाना से जैसा माल रखा गया था, उसको उसी रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उन बोरों को जहां जहां फटे थे, उनको यदि पुनः सिला जाता तो यह असामान्य प्रक्रिया होती और माल पर संदेह उत्पन्न होता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया, जिससे अभियोजन केस प्रभावित नहीं होता है। पी0डब्लू-1 एवं पी0डब्लू-2 के साक्ष्य में यह भी आया है कि बरामद माल को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया तथा नमूना माल को परीक्षण हेतु भेजा गया। अतः धारा-55 एन0डी0पी0एस0एक्ट जो अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेने तथा धारा-57 गिरफ्तारी एवं अभिग्रहण की रिपोर्ट से सम्बन्धित आज्ञापक प्रक्रियाओं का अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष के तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है, बल्कि बरामदगी व गिरफ्तारी से सम्बन्धित आज्ञापक प्रक्रियाओं का अनुपालन होना इस प्रकरण में पाया जाता है। इसके अलावा साक्षी पी0डब्लू-4 निरीक्षक सुरेश राम विवेचक साक्षी हैं, जिन्होंने विवेचना से सम्बन्धित प्रपत्रों नक्शानजरी बरामदगी स्थल एवं

आरोपपत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए साबित किया है तथा मुकदमा कायमी की जी०डी० की कार्वन प्रति को भी साबित किया है तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को तैयार करने वाले हेड का० तारकेश्वर पाण्डेय ने भी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। यद्यपि गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभाष व विसंगतियां हैं, परन्तु उक्त विरोधाभाष व विसंगतियां ऐसी नहीं हैं, जिससे घटना को झूठा करार दिया जा सके और इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिव्यवस्था **स्टेट आफ यू०पी० बनाम नरेश 2011(75) ए०सी० सी० पृष्ठ-215** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में आये हुये नगण्य प्रकृति के त्रुटियों व विरोधाभासों के कारण वर्तमान प्रकरण की घटना को कदापि संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

25. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विवेचक, वादी मुकदमा/थानाध्यक्ष के मातहत थे और उन्होंने अलग से बरामदशुदा माल की कोई इन्वेन्ट्री नहीं बनायी और न ही वादी मुकदमा ने विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण करवाया और विवेचक ने वादी के दबाव में बिना विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त किये आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया, के सम्बन्ध में न्यायालय इस मत का है कि यदि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण का बयान विश्वसनीय है तो विवेचनात्मक त्रुटियों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस टीम द्वारा अकस्मात जन स्थान से 03 अभियुक्तगण को भारी मात्रा में स्वापक पदार्थ/गांजा का अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और अभियुक्तगण यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि उन्हें पुलिस द्वारा मिथ्या अभियोजित किया गया है। चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध है कि अभियुक्त शेषनाथ के कब्जे से 32 किलोग्राम गांजा, अभियुक्त अशोक के पास से 23 किलो गांजा तथा अभियुक्त राजेश यादव के पास से 31 किलोग्राम गांजा बरामद होना पाया गया है, जिसको रखने के सम्बन्ध में उनके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं था, अतः

न्यायालय इस मत का है कि सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य का सम्यक अवलोकन करने से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजनपक्ष सफल रहा है। अभियुक्तगण शेषनाथ, अशोक कुमार व राजेश यादव अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम में दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **शेषनाथ, अशोक कुमार व राजेश यादव** को धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा न्यायालय में उपस्थित है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच के बाद पेश हो।

दिनांक: 30.01.2024

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई डी0 नं0-यू0पी0-6222
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0-1
महराजगंज।

30.01.2024 लंच बाद

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर लन्च बाद सुनवाई हेतु पेश हुई। दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्तगण, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब है, उनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, वह घर के अकेले कमाऊ सदस्य है, उनका प्रथम अपराध है, अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि अभियुक्त शेषनाथ के कब्जे से 32 किलोग्राम गांजा, अभियुक्त अशोक के कब्जे से 23 किलोग्राम गांजा तथा अभियुक्त राजेश यादव के कब्जे से 31 किलोग्राम गांजा, जो वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम से अधिक है, बरामद हुई है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें सजा में कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त शेषनाथ के कब्जे से 32 किलोग्राम नाजायज गांजा, अभियुक्त अशोक कुमार के कब्जे से 23 किलोग्राम नाजायज गांजा तथा अभियुक्त राजेश यादव के कब्जे से 31 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद होने का अपराध सिद्ध हो चुका है। यह प्रकरण धारा-20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में संशोधन से पूर्व का है। असंशोधित धारा-20(बी)(i) के अनुसार भांग के यातायात हेतु अधिकतम सजा पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **नशीर बनाम केरला राज्य (2004) 3 एस.सी.सी. 609** के अनुसार इस प्रकरण में धारा-20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के संशोधन के पूर्व के प्रावधान लागू होंगे। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण काफी पुराना है और अभियुक्तगण प्रौढ़ हो चुके हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध निम्न दण्डादेश पारित किया जाना उचित है।

दण्डादेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **शेषनाथ** को विशेष वाद संख्या-40/2001, अपराध संख्या-153/2001 थाना-कोतवाली के प्रकरण में धारा- 8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम के अपराध के लिए 03 वर्ष (तीन वर्ष) के कारावास एवं 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त शेषनाथ को 03 (तीन) माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त **अशोक कुमार** को विशेष वाद संख्या-41/2001, अपराध संख्या-154/2001 थाना-कोतवाली के प्रकरण में धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम के अपराध के लिए 03 वर्ष (तीन वर्ष) के कारावास एवं 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त अशोक कुमार को 03 (तीन) माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त **राजेश यादव** को विशेष वाद संख्या-42/2001, अपराध संख्या-155/2001 थाना-कोतवाली के प्रकरण में धारा-8/20बी(i) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम के अपराध के लिए 03 वर्ष (तीन वर्ष) के कारावास एवं 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त राजेश यादव को 03 (तीन) माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियुक्तगण शेषनाथ, अशोक कुमार एवं राजेश यादव द्वारा इस अपराध संख्या में जेल में बिताई गयी अभिरक्षा अवधि, दण्ड की अवधि में समायोजित की जायेगी। तदनुसार अभियुक्तगण का दोषसिद्धि अधिपत्र तैयार कर अभियुक्तगण को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, महाराजगंज प्रेषित किया जाय। निर्णय की एक-एक प्रति अभियुक्तगण को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। बाद मियाद अपील माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया

जाय।

इस निर्णय एवं आदेश की एक-एक प्रति विशेष वाद सं०-41/2001 एवं विशेष वाद संख्या-42/2001 की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांक: 30.01.2024

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई डी० नं०-यू०पी०-6222
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०-1
महराजगंज।

आज यह निर्णय मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुए सुनाया गया।

दिनांक: 30.01.2024

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई डी० नं०-यू०पी०-6222
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०-1
महराजगंज।